न्यायालय सहायक कलक्टर किशनगढ़, जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारीः- श्रीमति निशा सहारण

राजस्व वाद पत्र संख्या 146/2021

- श्रीमती लाली देवी पत्नी श्री स्व. भैंरूलाल शर्मा आयु 47 साल निवासी ग्राम रगसपुरिया सोनियाना तहसील गंगरार जिला चितौडगढ राज. – वादीगण

विरूद्ध

- श्री हीरालाल पुत्र धूकली जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम रगसपुरिया सोनियाना, तहसील गंगरार जिला अजमेर (राज.) व अन्य। –प्रतिवादीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

दिनांक 23.04.2025

उपस्थितः– वकील वादी श्री गणेश प्रजापति
वकील प्रतिवादी श्री सुण्डाराम जाट

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि वकील प्रतिवादी 1/2 की ओर से दिनांक 10.04.2023 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1/2 (शोभालाल शर्मा पुत्र श्री हीरालाल, जाति ब्राहमण, निवासी–रगसपुरिया सोनियाना, तहसील गंगरार, जिला चितौड़गढ़ जरिये पॉवर ऑफ एटॉनी होल्डर 1/4/2 मोहनलाल यादव पुत्र श्री गोपी जी यादव, आयु लगभग 56 वर्ष भगवती सदन, आजाद जगर, मदनगंज–किशनगढ़, जिला अजमेर (राज०) की ओर से निम्न निवेदन है, उक्त राजस्व वाद आज माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। वादीया द्वारा उक्त वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, धारा 92–अ राजस्थानकाश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया है कि वादीया के पति भैंरूलाल की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 622/2 रकबा 06 बीघा 06 बीस्वा, खसरा संख्या 966/594 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी कुल किता 2 कुल रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि ग्राम उदयपुर कला, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर में स्थित है। उक्त खसरा संख्या 966/594 में से 11 बिस्वा 8 बिस्वांसी भूमि सम्परिर्वत होने के पश्चात् खसरा संख्या 966/594 का रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा 2 बिस्वांसी रहा था एवं 11 बिस्वा 8 बिस्वांसी भूमि का संपरिवर्तन होकर नवीन खसरा संख्या 2/594/2/2 कायम किये गये। इस प्रकार संपरिवर्तन के पश्चात् खसरा संख्या 622/2 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा एवं खसरा संख्या 966/594 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा 2 बिस्वांसी भूमि हेतु उक्त वाद प्रस्तुत है। वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में वादिया द्वारा अंकित किया गया है कि वादिया के पति का दिनांक 23.07.2013 को स्वर्गवास हो गया है। उक्त भूमि के खातेदार जीतसिंह पुत्र महेन्द्र सिंह वास्तव मे वादीया के पति भैरूलाल पुत्र हीरालाल होने के संबंध में डी.एन.ए. रिपोर्ट से प्रमाणित होने पर नामान्तकरण दर्ज किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 3 श्रीमान् तहसीलदार किशनगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 3 श्रीमान् तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र लाने हेतु आदेश प्रदान किये थे। प्रतिवादी संख्या 3 श्रीमान् तहसीलदार किशनगढ़ के आदेश के पश्चात् वादीया द्वारा माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश किशनगढ़ के समक्ष घोषणात्मक अनुतोष बाबत् एक दीवानी वाद संख्या 33/2015 प्रस्तुत किया गया था। जिसका उनवान हीरालाल व अन्य बनाम आम जनता

सहायक कलक्टर
किशनगढ़ (अजमेर)

व अन्य है। उक्त दीवानी वाद के अन्तर्गत वादीया स्वयं वादी संख्या 3 के रूप में पक्षकार है। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वाद के अन्तर्गत दिनांक 18.01.2016 को निर्णय एवं डिकी पारित करते हुये आदेश प्रदान किया कि वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद एक पक्षीय आंशिक रूप से वादीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष में घोषणात्मक डिक्री इस प्रकार की जाती है कि वादी संख्या 1 हीरालाल मृतक के जैविक पिता, वादी संख्या 2 श्रीमती छगनी देवी मृतक की जैविक माता है। वादीगण संख्या 3 व 4 की हद तक वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय के पैज नंबर 13 पर स्वष्ट रूप से यह अंकित किया है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट प्रकट नही होता है कि लाली देवी मृतक की पत्नि हो। विवाहिता की स्थिति का लाली देवी व मृतक के पति–पत्नि होने के संबंध में घोषणा केवल पारिवारिक न्यायालय विधिनुसार कर सकता हैं। ऐसी स्थिति में वादी संख्या 3 को मृतक की पत्नि नही माना जा सकता है। इसके पश्चात् वादी संख्या 3 (वर्तमान वादीया श्रीमती लाली देवी) द्वारा माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 18.01.2016 की पालना में न्यायालय श्रीमान् पारिवारिक न्यायालय किशनगढ़ के न्यायालय में वादीया मृतक भैरूलाल पुत्र हीरालाल की ब्याहता पत्नि होने के आधार पर उसके अधिकारों के बाबत् पारिवारिक न्यायालय के धारा 7 के अधिन घोषणा हेतु दीवानी वाद संख्या 22/2018 उनवान श्रीमती लाली देवी बनाम हीरालाल व अन्य प्रस्तुत किया है। उक्त दीवानी वाद आज भी विचाराधीन है। उक्त वर्णित समस्त तथ्यों से यह पूर्णतया स्पष्ट होता है कि वादीया द्वारा स्व. भैरूलाल की ब्याहता पत्नि होने की घोषणा हेतु उक्त वाद आज भी विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में वादीया को उक्त राजस्व वाद के अन्तर्गत स्व. भैरूलाल की पत्नि घोषित किये जाने की आज्ञप्ति/डिकी प्राप्त किये बिना वादीया का वाद विधिनुसार पोषणीय नही होने से एवं वादीया का विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें। वादीया द्वारा उक्त वाद के अन्तर्गत स्व. भैरूलाल की ब्याहता पत्नि घोषित करवाये बिना वादीया का यह वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें। उक्त वर्णित समस्त तथ्यों के आधार पर वादीया का वाद विधि द्वारा वर्जित होने के आधार पर वादीया का वाद विधि विरूद्ध होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 1/2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त वर्णित समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, दस्तावेजों एवं विधिक प्रावधानों के आधार पर वादीया का वाद प्रथम दृष्टया ही विधि द्वारा वर्जित होने से आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं कर सीधे ही लिखित बहस पेश की जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया कि वादीया का वाद माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.07.2018 से विचाराधीन है। प्रतिवादी संख्या 1/2 द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अवैधानिक रूप से प्रकरण को विलम्ब करने की मंशा से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है चुंकि उपरोक्त प्रकरण में जो प्रतिवादी द्वारा कथन किये गये है कि वाद वर्णित आराजीयात में से कुछ आराजीयात सपरिवर्तन होकर नवीन खसरा नम्बर 2/594/2/2 कायम किये गये है जो वाद लम्बित होने के समय किया गया है जो विधि के प्रावधानों अनुसार अवैध वन्शुन्य है। इस प्रकार उपरोक्त सपरिवर्तन आदेश वादीया के हितों के विपरित है एवं सपरिवर्तन कराते समय प्रार्थी को शपथ पत्र देना आवश्यक होता है कि सपरिवर्तन की जा रही भूमि में किसी भी प्रकार का वाद–विवाद, स्थगन आदि नहीं है अथवा पाक व साफ है जो झुठा शपथ पत्र प्रस्तुत कर भूमि को संपरिवर्तित किया गया है जो एक अवैधानिक कृत्य है, एवं उपरोक्त आराजीयात में स्थगन आदेश होने के बावजूद भी सपरिवर्तन किया गया है जो गलत व अवैध है। माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, किशनगढ़ के समक्ष प्रस्तुत वाद संख्या 33/2015 बेउनवानी हीरालाल

सहायक कलक्टर
किशनगढ़ (अजमेर)

बनाम आम जनता में स्वयं प्रतिवादीगण/हीरालाल, छगनी द्वारा वादीया के साथ वाद पेश किया गया है जिसमें अपने कथनो व वाद में सजरा अंकित किया गया है एवं बयानों में भी वादीया को मृतक भैरूलाल उर्फ जीत सिंह की पत्नि माना गया है तो अब प्रतिवादीगण द्वारा अवैध रूप से वादीया की सम्पति हड़प करने के उद्देश्य से अवैधानिक कृत्य किया जा रहा है। जो उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या ही खारीज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 में कथन अंकित किये गये है जिसमें वादीया लाली देवी द्वारा श्रीमान् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, किशनगढ़ के समक्ष प्रस्तुत वाद संख्या 33/2015 वादीया द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया हैवादीया लाली देवी द्वारा आदेश 01 नियम 10 सी०पी०सी० के तहत पक्षकार संयोजित किया गया था जिसमें लाली देवी को न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया कि पारिवारिक न्यायालय द्वारा अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी है,जो वर्तमान में वाद विचाराधीन है एवं लाली देवी के पक्ष में आदेश 39 नियम 01 व 02 सी०पी०सी० में दिनांक 28.02.2023 को वाद वर्णित आराजीयात में मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश पारित किये गये है, इस प्रकार पारिवारिक न्यायालय द्वारा भी लाली देवी को उपरोक्त आराजीयात में हित, अधिकार, स्वत्व मानते हुये स्थगन आदेश पारित किया गया है। अप्रार्थी / प्रतिवादी द्वारा माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश में प्रस्तुत वाद संख्या 33/2015 में स्वंय द्वारा अंकित सजरा एवं साक्ष्य हेतु प्रस्तुत शपथ पत्र एवं समस्त बयानों में लाली देवी को मृतक खातेदार भैरूलाल उर्फ जीत सिंह की पत्नि के रूप में स्वीकार किया गया है एवं प्रतिवादीगण ने न्यायालय में जीरह में भी स्वीकार किया गया है इस प्रकार प्रतिवादीगण के विरूद्ध एस्टोपल का सिद्वान्त लागू होता है स्वयं प्रतिवादीगण मृतक खातेदार की पत्नि स्वीकार करते है तो शेष बिन्दू सर्व सिद्ध हो जाता है कि मृतक खातेदार की पत्नि वादीया है एवं वादीया अपने पति की खातेदारी आराजी में हक, हिस्सा प्राप्त करने की हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी की वारिसान है। जो राजस्व न्यायालय में उद्घोषणा का वाद विचाराधीन है। मृतक भैरूलाल पुत्र हीरालाल के माता–पिता द्वारा स्वयं अपने वाद में कथन, सजरा, बयान किये गये है कि वादीया लाली देवी को मृतक भैरूलाल की पत्नि माना गया है। जो सही एवं सत्य है। प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में भी प्रतिवादी संख्या 1 हीरालाल व प्रतिवादी संख्या 2 छगनी देवी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी०पी०सी० का दिनांक 12.10.2018 को पेश किया गया है। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 18.05.2019 को वादीया के वाद को खारीज कर दिया गया था तत्पश्चात् माननीय न्यायालय के आदेश को अपर न्यायालय माननीय राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील संख्या 191/2019 श्रीमती लाली देवी बनाम हीरालाल वगेरह के नाम से अपील प्रस्तुत की गयी जिसमें माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दिनांक 30.07.2021 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.05.2019 को निरस्त करके इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि "तनकियात कायम कर साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने हेतु माननीय न्यायालय को निर्देश दिया गया" उक्त आदेश की प्रतिवादीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष अपील / टी०ए० 4057/2021 अपील प्रस्तुत की गयी जिसमें माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा दिनांक 26.10.2021 को अपील खारीज कर माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय. अजमेर के आदेश को यथावत रखा गया है इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० निस्तारित होकर आदेश अन्तिम हो चुका है उसके बावजूद भी प्रतिवादीगण बार–बार वादीया के दावे को विलम्ब करने की मंशा से झुठे अभिकथनों के आधार पर आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न तो सद्भाविक है न विधिक है। इस कारण भारी व्यय के साथ आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० का प्रार्थना पत्र खारीज

सहायक कलक्टर
किशनगढ़ (अजमेर)

किया जाकर पत्रावली में अग्रीम कार्यवाही करने हेतु आदेश पारित किया जावें। उपरोक्त वाद वर्णित आराजीयात वाद प्रस्तुती के समय से कृषि आराजी है जो उद्घोषणा का वाद धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत माननीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार है न की पारिवारिक न्यायालय, राजस्व से संबन्धित उद्घोषणा पारित कर सकता है। न्यायिक नजीरें :– वाद विचाराधीन रहते हुये किसी भी प्रकार से झुठा शपथ पत्र व झुठे कथनों के आधार पर भूमि का संपरिवर्तन करवा लिया जाता है तो वह वादी के हित, अधिकारों पर स्वत्व ही अवैध, शुन्य व निष्प्रभावी है। आर०बी०जे० 2019 पेज नम्बर 418 पूरण सिंह बनाम आम जनता में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 207 सी०पी०सी०, 1908, आदेश 7 नियम 10 व 11 उत्तराधिकारी से सम्बन्धित अधिकारों की घोषणा का वाद सामान्य कानूनी अधिकारों का निर्धारण का है इस आधार पर की इस प्रकार की घोषणा काश्तकारी अधिकारों के बाबत् होगी इसलिये वाद को राजस्व अदालत में चलने नहीं दिया जा सकता इसलिये इस वाद में वाद पत्र नियम 10 व 11 के तहत नहीं लौटाया जा सकता है। RRD 2015(1)rj page 390 – विवाधक विरचित करने तथा साक्ष्य लेने के बाद निर्णय किया जा सकता है। सी०पी०सी० आदेश 7 नियम 11–वाद पत्र निरस्त करना–भूमि विक्रय सम्बन्धी विवाद–लिखित बयान दायर किया खारिज हुआ–पुनरीक्षण अभिनिर्धारित वाद की पोषणीयता सम्बन्धी बिन्द्र तो केवल जवाब दावा पेश करने एवं विवाद्यक विरचित किये जाने शेष है–वाद पोषणीय है या नहीं इस प्रश्न का विनिश्चय विवाद्यक विरचित करने के बाद और विवाद्यक वार उनका विनिश्चिय करने के बाद ही किया जा सकता है–दस्तावेजों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है–कोई अवैधानिकता नहीं की–आदेश की पुष्टि की। Anjana & Ors- VS Panchi & Ors- RLW 2007(2) RJ 997 – 2007 (2) RRT 905 अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी०पी०सी० खारीज किया जाकर पत्रावली में अग्रीम कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें।

वकील प्रतिवादी द्वारा लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1/2 की ओर से दिनांक 10.04.2023 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता की बहस के समर्थन में लिखित बहस निम्न प्रकार प्रस्तुत है कि प्रतिवादी संख्या 1/2 द्वारा दिनांक 10.04.2023 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया द्वारा उक्त वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, धारा 92–अ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीया के पति भैंरूलाल पुत्र हीरालाल की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 622/2 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा एवं खसरा संख्या 966/594 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी कुल किता 2 कुल रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि ग्राम उदयपुर कला, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर में स्थित है। उक्त खसरा संख्या 966/594 में से 11 बिस्वा 8 बिस्वांसी भूमि सम्परिर्वत होने के पश्चात् खसरा संख्या 966/594 का रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा 2 बिस्वांसी रहा था एवं 11 बिस्वा 8 बिस्वांसी भूमि का संपरिवर्तन होकर नवीन खसरा संख्या 2/594/2/2 कायम किये गये। इस प्रकार संपरिवर्तन के पश्चात् खसरा संख्या 622/2 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा एवं खसरा संख्या 966/594 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा 2 बिस्वांसी भूमि हेतु उक्त वाद प्रस्तुत है। इस प्रकार उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि वाणिज्यिक उपयोग हेतु संपरिवर्तित हो चुकी है इस आधार पर माननीय न्यायालय को विधिनुसार इस वाद की सुनवायी का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। उक्त वर्णित समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें। वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में वादिया द्वारा अंकित किया गया है कि वादिया के पति का दिनांक 23.07.2013 को स्वर्गवास हो गया है। उक्त भूमि के खातेदार

सहायक कलक्टर
किशनगढ़ (अजमेर)

जीतसिंह पुत्र महेन्द्र सिंह वास्तव मे वादीया के पति भैरूलाल पुत्र हीरालाल होने के संबंध में डी.एन.ए. रिपोर्ट से प्रमाणित होने पर नामान्तकरण दर्ज किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 3 श्रीमान् तहसीलदार किशनगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 3 श्रीमान् तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र लाने हेतु आदेश प्रदान किये थे। प्रतिवादी संख्या 3 श्रीमान् तहसीलदार किशनगढ़ के आदेश के पश्चात् वादीया द्वारा माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश किशनगढ़ के समक्ष घोषणात्मक अनुतोष बाबत् एक दीवानी वाद संख्या 33/2015 प्रस्तुत किया गया था। जिसका उनवान हीरालाल व अन्य बनाम आम जनता व अन्य है। उक्त दीवानी वाद के अन्तर्गत वादीया स्वयं वादी संख्या 3 के रूप में पक्षकार है। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वाद के अन्तर्गत दिनांक 18.01.2016 को निर्णय एवं डिकी पारित करते हुये आदेश प्रदान किया कि वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद एक पक्षीय आंशिक रूप से वादीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष में घोषणात्मक डिकी इस प्रकार की जाती है कि वादी संख्या 1 हीरालाल मृतक के जैविक पिता, वादी संख्या 2 श्रीमती छगनी देवी मृतक की जैविक माता है। वादीगण संख्या 3 व 4 की हद तक वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश किशनगढ़ के दीवानी वाद संख्या 33/2015 उनवान हीरालाल व अन्य बनाम आम जनता व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 18.01.2016 के पैज नम्बर 13 पर यह विवेचन किया है कि "अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रकट नही होता है कि लाली देवी मृतक की पत्नि हो। विवाहिता की स्थिति का लाली देवी व मृतक के पति पत्नि होने के संबंध में घोषणा केवल पारिवारिक न्यायालय विधिनुसार कर सकता है। ऐसी स्थिति में वादी संख्या 3 (वर्तमान प्रार्थीया लाली देवी) को मृतक की पत्नि नहीं माना जा सकता।" वादीया द्वारा माननीय अपर जिला न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 18.01.2016 की पालना में न्यायालय श्रीमान् पारिवारिक न्यायालय किशनगढ़ (न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या 1 किशनगढ़) के समक्ष एक दीवानी वाद संख्या 22/2018 (416/2018) वास्ते स्वयं को स्व. भैरूलाल की ब्याहता पत्नि घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। उक्त दीवानी वाद का उनवान श्रीमती लालीदेवी बनाम हीरालाल व अन्य है। उक्त दीवानी वाद आज तक माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। यहां पर यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 18.01.2016 के पैज नंबर 13 पर स्पष्ट रूप से यह अंकित किया है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट प्रकट नही होता है कि लाली देवी मृतक की पत्नि हो। विवाहिता की स्थिति का लाली देवी व मृतक के पति–पत्नि होने के संबंध में घोषणा केवल पारिवारिक न्यायालय विधिनुसार कर सकता हैं। ऐसी स्थिति में विधिनुसार वादीया को मृतक की पत्नि नही माना जा सकता है। इसके पश्चात् वादी संख्या 3 (वर्तमान वादीया श्रीमती लाली देवी) द्वारा माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिकी दिनांक 18.01.2016 की पालना में न्यायालय श्रीमान् पारिवारिक न्यायालय किशनगढ़ के न्यायालय में वादीया मृतक भैरूलाल पुत्र हीरालाल की ब्याहता पत्नि होने के आधार पर उसके अधिकारों के बाबत् पारिवारिक न्यायालय के धारा 7 के अधिन घोषणा हेतु दीवानी वाद संख्या 22/2018 उनवान श्रीमती लाली देवी बनाम हीरालाल व अन्य प्रस्तुत किया है। उक्त दीवानी वाद आज भी विचाराधीन है। उक्त वर्णित समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वादीया को उक्त राजस्व वाद के अन्तर्गत स्व. भैरूलाल की पत्नि घोषित किये जाने की आज्ञप्ति/डिकी प्राप्त किये बिना वादीया का वाद विधिनुसार पोषणीय नहीं होने से एवं वादीया का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें। उक्त वर्णित समस्त तथ्य शुद्ध रूप से विधिक बिन्दू है जिनके संबंध में विवाद्यक बनाये जाने की आवश्यकता नही है तथा पक्षकारों की साक्ष्य भी लिये जाने की आवश्यकता नही है। उक्त वर्णित समस्त तथ्यों के अवलोकन से भी यह पूर्णतया

सहायक कलक्टर

स्पष्ट प्रकट होता है कि उक्त वर्णित समस्त तथ्य विधिक बिन्दू है जिनके संबंध में पक्षकारों की साक्ष्य लिये बिना ही वादीया के वाद को विधि द्वारा वर्जित होने के आधार पर प्रथम दृष्टया ही इसी स्टेज पर खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें। माननीय न्यायालय से निवेदन है कि विधिक प्रावधानों के अनुसार यदि किसी भी प्रकार में आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रार्थना पत्र का निस्तारण विधिनुसार प्रकरण में किसी भी प्रकार की आगामी कार्यवाही किये जाने से पहले किया आवश्यक है। इसलिए माननीय न्यायालय से निवेदन है कि इस प्रकरण में किसी भी प्रकार की आगामी कार्यवाही किये जाने से पूर्व प्रतिवादी संख्या 1/2 की ओर से प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार के प्रार्थना पत्र का विधिनुसार निस्तारण किया जाना उचित, आवश्यक एवं न्याय संगत है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत है :–

1– 2016 (3) CJ (Civ.) (SC) Page No- 762

2– 2017 (1) CJ (Civ) (Raj) Page No- 1

अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 1/2 की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, दस्तावेजों, विधिक प्रावधानों एवं न्यायिक सिद्वान्तों के आधार पर वादीया का वाद प्रथम दृष्टया ही विधि द्वारा वर्जित होने से आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

दिनांक 07.04.2025 को हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई तथा वाद पत्र, संलग्न दस्तावेजात, न्यायिक नजीरों का अवलोकन किया गया। वादीया द्वारा वादपत्र में मुख्यतः अनुतोष चाहा गया है कि वादीया का वाद स्वीकार कर ग्राम उदयपुर कलां की भूमि खसरा संख्या 622/2 रकबा 06 बीघा 06 बीस्वा एवं खसरा संख्या 966/594 रकबा 05 बीघा 16 बीस्वा 02 बीस्वांशी में वादीया को 1/2 हिस्से का खातेदार की डिक्री वादीया के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्व पारित की जावे अर्थात वादीया द्वारा स्वयं को कथित तौर पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पुत्र स्व. भैंरूलाल की पत्नी बताकर अभीष्ट अनुतोष न्यायालय हाजा से वांछा किया गया है। न्यायालय श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश किशनगढ जिला अजमेर ने दीवानी वाद संख्या 33/2015 उनवन हीरालाल व अन्य बनाम आम जनता व अन्य में पारित दिर्णय दिनांक 18.01.2016 में उल्लेखित किया है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट नहीं होता कि लाली देवी मृतक की पत्नी हो। विवाहिता की स्थिती का लाली देवी व मृतक के पति पत्नी होने के संबंध में घोषणा केवल पारिवारिक न्यायालय विधिनुसार कर सकता है ऐसी स्थिती में वादी संख्या 03 को मृतक की पत्नी नहीं माना जा सकता,वादी संख्या 01 व 02 को मृतक के जैविक पिता एवं जैविक माता घोषित किया गया एवं वादीगण संख्या 03 व 04 की हद तक वाद अस्वीकार कर दिया गया। जिसके बाद वादीया द्वारा एक वाद संख्या 22/2018 उनवानी लालीदेवी बनाम हीरालाल व अन्य है जो कि पारिवारिक न्यायालय किशनगढ न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 01 किशनगढ के समक्ष विचाराधीन है, जब तक पारिवारिक न्यायालय द्वारा दीवानी वाद संख्या 22/2018 उनवानी लालीदेवी बनाम हीरालाल व अन्य में अन्तिम आदेश पारित नहीं किया जाता तक तब वादीया को स्व. भैंरूलाल की पत्नी नहीं माना जा सकता है ; न्यायालय श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश किशनगढ जिला अजमेर ने दीवानी वाद संख्या 33/2015 उनवन हीरालाल व अन्य बनाम आम जनता व अन्य में पारित दिर्णय दिनांक 18.01.2016 के तहत वादीया को स्व. भैंरूलाल की पत्नी नहीं माना है। आज दिनांक कालावधि तक उपस्थित साक्ष्यों एवं सबूतों में वादीया स्व. भैंरूलाल की पत्नी नहीं है अर्थात स्व. भैंरूलाल

सहायक कलक्टर
किशनगढ़ (अजमेर)

की भूमि की उत्तराधिकारी नहीं है। आदिनांक तक के न्यायिक वाद तथ्य समान ही है। यदि नये तथ्य प्रकट होतें हैं तो वादीया सक्षम न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतंत्र है। वर्तमान परिपेक्ष्य में उक्त वाद को विचारणीय रखने का कोई न्यायिक एवं विधिक औचित्य नहीं है। अतः न्यायिक नजीरों एवं परिपत्रों के आद्योपान्त अवलोकन, वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन एवं उपर्युक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपने अन्तरनिहित शक्तियों के अधीन प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद खारिज किया जाता है। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 23.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निशा सहारण (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
किशनगढ़ (अजमेर)

सहायक कलक्टर
किशनगढ़ (अजमेर)